

उपरोक्त अग्नि अंकक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय विन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतः .....दिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37, 44 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 सग-समय पर यथा संशोधित की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गई त्रुटियों का समेकित ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

1. दिनांक 17/06/2023 को जाँच किया गया जहाँ उपरान्त पाया गया कि
2. पाइप लाइन सिस्टम, कम्प्लेक्स सिस्टम एवं अग्निशमन यंत्रों का
3. निरीक्षण किया गया है मतः इस संस्करण का अग्नि अंकक्षण
4. समाप्त कर दिया जा सकता है यदि आपत्ति नहीं है।
5. ....
6. ....

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,

बिहार, पटना/  
नामित पदाधिकारी।

पत्रांक 866/

पदाधिकारी, औरंगाबाद, दिनांक 17/06/2023

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, का कार्यालय, बिहार, पटना।

अनुमंडल अग्निशमन (नामित पदाधिकारी) का कार्यालय, औरंगाबाद

प्रतिलिपि:- ..... (भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/संघ के सचिव/अध्यक्ष/संबंधित व्यक्ति को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,

बिहार, पटना/  
नामित पदाधिकारी।  
पदाधिकारी, औरंगाबाद